मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :– श्रीमति शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

सुरेश कुमार बनाम आदराम

दावा बाबत :– 88 RT Act

मुकदमा नम्बर :– 99/2023

निर्णय दिनांक :– 14.06.2023

वादी की ओर से वकील राजेश कुमार बैनीवाल की व प्रतिवादी सं० 1 ता 3 की ओर से वकील अर्जुन बैनीवाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.06.23 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मोजा मुन्दडिया बड़ा के खाता सं० 11/11 के खसरा नं० 108/2 की 0.5370 है०, खसरा नं० 168 की 2.719 है० खसरा नं० 169 की 2.2730 है०, खसरा नं० 238 की 0.6700 है०, खसरा नं० 323 की 0.7530 है०, खसरा नं० 94 की 0.8350 है० बारानी कुल 7.7870 है० बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं० 1 आदराम के नाम दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं० 1 अकेले की बजाए वादी सुरेश कुमार व प्रतिवादी सं० 2 रणधीर सिंह को संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं० 1 आदराम को 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किए जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं० 3 ने अपना हक-हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 के पक्ष में त्याग कर दिया है। राजीनामा को पर्चा डिक्री का भाग समझा जावे।

यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14.06.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

शिविर प्रभारी
[redacted] R.A.S.
[redacted]हायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
[redacted] जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner